Non- RBA Letter

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. 2016/AC-II/21/8/Pt-VI

New Delhi, dated 24.5.2022

General Manager
All Zonal Railways and Production Units

Sub:- Pension revision as per 7th CPC recommendations.

Ref:- Board's letter of even no. dated 1.11.2021

*****

Please connect Board's letter ibid seeking status of Pension Revision as per 7th CPC recommendations. The reports from few Railways have been received and it is seen that the progress made is meager. ARPAN report also reveals that there are 21000 cases(PSB cases)approximately pending initiation of revision at Personnel Branch. Besides, there are 9900(other than PSB cases) pending revision . As has been stated in the above referred letter, AIRF and NFIR are expressing their concern over this pendency position.

Kindly have the position examined for taking suitable remedial action and apprise Board regarding the progress made in this regard by mail at npsrailwayboard@gmail.com latest by 25.6.2022.

DA:As above

24/5/22

(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance/CCA
Railway Board

Copy to : PFAs and PCPOs of all Zonal Railways/PUs

https://www.govtstaff.com

Pl. issue
02-11-2021

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. 2016/AC-II/21/8/Pt-VI

New Delhi, dated 01.11.2021

General Manager
All Zonal Railways and Production Units

Sub:- Pension revision as per 7th CPC recommendations.

*****

As you may be aware, pension revision of pre-2016 pensioners as per 7th CPC recommendation is still under process. At present, there are over 37000 pending cases (PSBs-25000, Post Offices, 10500and State Treasuries-1500). Several Pension Associations including AIRF and SCOVA have desired that the pension in these pending cases may be revised at the earliest.

It is understood that these cases are pending for want of records/requisite details . Kindly arrange to have these cases completed in a time bound manner by acquiring these details from the pension disbursing authorities. A report on progress made may be sent to Board by 15.11.2021, positively.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to : PFAs and PCPOs of all Zonal Railways/PUs

O/C

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

सं. 2016/एसी-II/21/8/पार्ट-VI

नई दिल्ली, दिनांक: 24.5.2022

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषय: 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार पेंशन में संशोधन

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 1.11.2021 का समसंख्यक पत्र

*****

कृपया बोर्ड के उक्त पत्र का अवलोकन करें जिसमें 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन की स्थिति मांगी गई है। कुछ रेलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यह देखा गया है कि प्रगति बहुत कम हुई है। अर्पण रिपोर्ट से भी पता चला है कि कार्मिक शाखा में संशोधन करने के लगभग 21000 मामले (पीएसबी मामले) लंबित हैं। इसके अलावा 9900 (पीएसबी मामलों के अलावा) संशोधन लंबित हैं। जैसा कि उपर्युक्त पत्र में उल्लेख किया गया है, इस लंबित स्थिति पर एआईआरएफ और एनएफआईआर ने अपनी चिंता व्यक्त की है।

कृपया उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए स्थिति की जांच करें और इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में बोर्ड को npsrailwayboard@gmail.com मेल द्वारा 25.6.2022 तक अवगत कराएं।

संलग्नक : यथोक्त

अजय बर्तवाल
संयुक्त निदेशक वित्त/ (सीसीए)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित : सभी क्षेत्रीय रेलों/ उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्तीय सलाहकार और प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

सं. 2016/एसी-II/21/8/पार्ट-VI

नई दिल्ली, दिनांक: 01.11.2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषय: 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार पेंशन में संशोधन

जैसा कि आप जानते हैं, 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 2016 से पहले के पेंशनभोगियों का पेंशन संशोधन अभी भी प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में, 37000 (पीएसबी-25000, पोस्ट ऑफिस-10500 और राजकीय कोष-1500) से अधिक मामले लंबित हैं। एआईआरएफ और एससीओवीए सहित कई पेंशन संघों ने इच्छा व्यक्त की है कि इन मामलों में पेंशन को यथाशीघ्र संशोधित किया जाए।

यह समझा गया है कि ये मामले रिकॉर्ड/ अपेक्षित ब्यौरे के अभाव में लंबित हैं। कृपया पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से इन ब्यौरों को प्राप्त करके मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की व्यवस्था की जाए। की गई प्रगति की रिपोर्ट 15.11.2021 तक अवश्य बोर्ड को भेजी जाए।

ह/-
(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी क्षेत्रीय रेलों/ उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्तीय सलाहकार और प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

https://www.govtstaff.com